समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (03)/2018/1816

दिनांक :– 23 MAR 2018

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : **कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 09.03.2018 के कार्य विवरण ।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 09–03–2018 के कार्य विवरण की एक प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

संलग्न : यथोपरि

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक शुक्रवार दिनांक 9.3.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे ई.एम.आर.सी के समिति कक्ष, तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो. मोहन लाल छीपा	सदस्य
3.	श्री चन्द्रशेखर रायकवार	सदस्य
4.	डॉ. (श्रीमती) सुनीता चन्द्रा	सदस्य
5.	डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी	सदस्य
6.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
7.	श्रीमती रागिनी मख्खर	सदस्य
8.	डॉ. के.एन. चतुर्वेदी (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा)	सदस्य
9.	श्रीमती प्रगति जैन (प्रतिनिधि, वित्त विभाग)	सदस्य
10.	श्री अजय वर्मा, प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

माननीय कुलपतिजी द्वारा निम्नानुसार जानकारी दी गई –

1. यह हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – मानव संस्थान् मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा डॉ. रजनीश जैन, आचार्य, आय.आय.पी.एस. को यू.जी.सी. में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है।
   परिषद् द्वारा उक्त जानकारी ग्राह्य की गई।

2. यह भी अवगत कराया कि दिनांक 30.3.2018 को विश्वविद्यालय का वार्षिक दीक्षान्त समारोह आयोजित है। कार्य परिषद् सदस्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए पधारें।

3. विश्वविद्यालय तक्षशिला परिसर में ओफो कंपनी से एम.ओ.यू. उपरांत छः माह के लिए साइकल की मुफ्त आवागमन सुविधा शिक्षक, छात्र एवं आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराई गई है।
   परिषद् द्वारा उक्त जानकारी की सूचना ग्रहण की गई एवं विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयास पर हर्ष व्यक्त किया गया।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.:1: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 4.12.2017 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 4.12.2017 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.4.12.2017 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:2: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 4.12.2017 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बाबत्।

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 4.12.2017 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही निम्नांकित संशोधन के साथ ग्राह्य की गई :

"विषय क.6 के संबंध में निर्णय लिया कि वर्ष 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/ प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र/छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति में डॉ. के.एन. चतुर्वेदी, सदस्य कार्य–परिषद् एवं अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा के स्थान पर श्रीमती रागिनी मख्खर, कार्य–परिषद् सदस्य को मनोनीत किया गया एवं उक्त समिति के निर्णय पुनः श्रीमती रागिनी मख्खर से अनुमोदित करावें।"

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:3: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.12.2017 एवं 16.1.2018 के कार्य–विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.12.2017 एवं 16.1.2018 के कार्य–विवरणों का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया गया कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.12.2017 एवं 16.1.2018 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:4: वित्त समिति की बैठक दिनांक 3.2.2018 के कार्य–विवरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 3.2.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिए गए :

(अ) वित्त समिति के विषय क.3 के संबंध में निर्णय लिया कि राज्य योजना आयोग की पीठ की अवधि बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्राप्त की जाए, तत्पश्चात् प्रकरण आगामी कार्य–परिषद् के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

(ब) वित्त समिति के विषय क.7 के संबंध में प्रकरण मान्य किया गया चूंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, अतः न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाए।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 3.2.2018 की शेष अनुशंसाएं मान्य की गईं।

(कार्यवाहीः लेखा विभाग)

विषय क्र.:5: भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 मूलभूत नियम 45 'ए' के अधीन मासिक किराए बाबत्।

निर्णय लिया कि भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 में किए गए संशोधन दिनांक 4.10.2013 के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा दिनांक 4.10.2014 से लागू की गई लायसेंस शुल्क (किराया वसूली) की दरें अंगीकृत की जाए।

(कार्यवाहीः लेखा विभाग)

विषय क्र.:6: डॉ. कपिल शर्मा, रीडर, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् स्ववित्त के दि.11.12.2017 से 10.12.2019 तक दो वर्ष का असाधारण अवकाश निरस्त कर पुनः रीडर, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् स्ववित्त के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु स्वीकृति विषयक।

परिषद् द्वारा डॉ. कपिल शर्मा, रीडर, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् स्ववित्त के दिनांक 11.12.2017 से 10.12.2019 तक दो वर्ष का असाधारण अवकाश निरस्त कर पुनः रीडर, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् स्ववित्त के पद पर कार्यग्रहण करने की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:7: डॉ. रजनीश जैन, आचार्य, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् को प्रतिनियुक्ति पर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में कार्य–ग्रहण हेतु कार्य मुक्ति की सूचना विषयक।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मानव संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश क्र.एफ.5–2/ 2018 (एड.बी.) दिनांक 8.2.2018 के परिप्रेक्ष्य में डॉ. रजनीश जैन, आचार्य, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् को प्रतिनियुक्ति पर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली में कार्य–ग्रहण हेतु कार्य मुक्ति की सूचना ग्रहण की जाती है।

यह भी निर्णय लिया कि राज्य शासन के नियमानुसार डॉ. रजनीश जैन को प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष स्वीकृत की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.8: माह सितम्बर से दिसम्बर 2017 की सेमेस्टर एवं चिकित्सा संकाय की व्यावसायिक परीक्षा के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि माह सितम्बर से दिसम्बर 2017 की सेमेस्टर एवं चिकित्सा संकाय की व्यावसायिक परीक्षा के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय अध्यक्ष श्रीमती रागिनी मक्खर से हस्ताक्षरित कराए जाने के उपरांत मान्य किए जाएं।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.9: पी–एच.डी. एवं डी.लिट्. उपाधि प्रदान करने बाबत् कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।

निर्णय लिया कि शोधार्धियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किए जाने की अनुशंसानुसार दि.18.12.2017 से दि.19.2.2018 तक कुल 104 शोधार्धियों को संबंधित विषय एवं संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः पी–एच.डी.प्रकोष्ठ)

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्र.1: दैनिक वेतन भोगी / अस्थायी कर्मचारियों के नियमितिकरण विषयक।

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगियों के नियमितिकरण विषयक प्राप्त आवेदनों पर परीक्षण हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :

1. डॉ. अशोक शर्मा, विभागाध्यक्ष, रसायनशास्त्र अध्ययनशाला
2. डॉ. लक्ष्मण शिन्दे, विभागाध्यक्ष, तुलनात्मक भाषा अध्ययनशाला
3. डॉ. संजीव टोकेकर, निदेशक, आई.ई.टी.
4. श्री विनय तायडे, उप–कुलसचिव (स्थापना)
5. श्री अनिल यादव, अध्यक्ष, देअविवि कर्मचारी (गैर शिक्षक) संघ

कार्य परिषद् समिति के निर्णयों से अवगत हुई तथा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्र.एफ.5–3 / 2006 / 1 / 3 दिनांक 16.5.2007, समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 8.2.2008 एवं 8.9.2008 तथा अंतिम समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 29.9.2014 के द्वारा जारी निर्देशों को संज्ञान में लिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 29.9.2014 की कंडिका (2) एवं (3) के अनुसार –

2. राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 16 मई, 2007 की कंडिका 5.1. एवं कंडिका 5.5. में मूल प्रावधानों के बाद निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाए :

(1) कडिका 5.1– परन्तु जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी सामान्य प्रशाासन विभाग के परिपत्र क्र.एफ..5–4 / 30–1 / देआप्र / 2000 दिनांक 14 फरवरी, 2006 एवं समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26 फरवरी 2000 के विरूद्ध न्यायालय / न्यायाधिकरण के आदेश / स्थगन के आधार पर कार्यरत हैं। उन्हें नियमितिकरण की कार्यवाही में शासित किया जाएगा, बशर्ते विभाग द्वारा न्यायालय / न्यायाधिकरण के संबंधित आदेशों को अंतिम रूप से मान लिया गया है एवं प्रश्नाधीन आदेश के विस्द्ध किसी न्यायालय में अपील आदि की कार्यवाही लंबित नहीं हो।

(2) कंडिका 5.5– परन्तु दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिस पद/ संवर्ग में कार्यरत और इस संवर्ग का पद रिक्त न होकर अन्य कोई समकक्ष पद रिक्त है और वह दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी उस रिक्त पद की निर्धारित योग्यता धारण करता है तो उस समकक्ष रिक्त पद पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाए।

3. कृपया उपरोक्तानुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अनुशंसा एवं शासन के उपरोक्त निर्देशों के प्रकाश में निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की पुनः बैठक आमंत्रित की जाए एवं नवीन शर्तों के अधीन पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि नियमितिकरण हेतु पात्रता की कट–आफ डेट 29.9.2014 ही रखी जाए एवं स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के साथ प्रकरण पुनः कार्य–परिषद् में रखा जाए।

कार्य–परिषद् के संज्ञान में यह तथ्य रखा गया कि म.प्र. शासन के पत्र क्र.396/2743/ 2010/ 38–3 दिनांक 19.3.2014 द्वारा प्राप्त माननीय मंत्रीजी द्वारा विश्वविद्यालय के संबंध में ली गई विभागीय समीक्षा के कार्य विवरण दिनांक 21.1.2014 के बिन्दु क्र.19 में उल्लेखित किया गया है कि जो पद विश्वविद्यालय में पूर्व से स्वीकृत हैं उन्हें भरने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालयों का है, जिसे उन्हें समय सीमा में सम्पन्न करना है।

इस विषय में सीधी भर्ती के पदों को नियमितिकरण से विश्वविद्यालय स्तर पर भरने के विषय में पात्र कर्मचारियों की सूची भेजकर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.2: <u>एल.एस.ए. महाविद्यालय, धार में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि एल.एस.ए. कॉलेज, धार में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 26.5.2017 में अनुशंसित डॉ.विजय पाल सिंह की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.3: <u>सेवा सदन शिक्षा महाविद्यालय, बुरहानपुर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि सेवा सदन शिक्षा महाविद्यालय, बुरहानपुर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 23.12.2017 में अनुशंसित डॉ. जगदीश आसखडके की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.4: बहाई चेअर फॉर स्टडीज इन डेव्हलपमेंट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर प्रभार सौंपने विषयक।

निर्णय लिया कि बहाई चेअर फॉर स्टडीज इन डेव्हलपमेंट, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के अध्यक्ष पद पर प्रभार सौंपने हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत किया जाता है।

(कार्यवाहीः बहाई पीठ)

विषय क्र.5: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 7.3.2018 के कार्य–विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 7.3.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 7.3.2018 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:6: वित्त समिति की बैठक दिनांक 7.3.2018 के कार्य–विवरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 7.3.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 7.3.2018 की अनुशंसाएं मान्य की गईं।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2017–18 का संशोधित एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का अनुमानित वित्तीय प्राक्कलन का वित्त समिति की अनुशंसानुसार अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया कि वजट घाटे को कम करने हेतु संसाधन में वृद्धि की जाए तथा व्यय में कमी की जाए।

(कार्यवाहीः लेखा विभाग)

विषय क्र.:7: दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र हेतु क्रय किए जाने वाले उपकरण एवं फर्नीचर राशि रू.62.50 लाख की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के लिए उपकरण एवं फर्नीचर क्रय करने हेतु कार्य–परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 3.8.2017 में राशि रू.62.50 लाख के व्यय की प्रदान की गई स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के फर्नीचर के नए रेट कांट्रेक्ट नं. RC/2016-2017/0058-5 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार फर्नीचर क्रय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र)

विषय क्र.:8: न्यायालयीन प्रकरणों के देयकों के शीघ्र भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कुलपतिजी को अधिकृत करने बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विरूद्ध महत्वपूर्ण न्यायालयीन प्रकरणों में उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान कार्य परिषद् में प्रस्तुत कर स्वीकृत कराए जाएं।

(कार्यवाहीः विधि प्रकोष्ठ)

विषय क.:9: <u>विश्वविद्यालय के विभिन्न स्व–वित्त विभागों हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किए गए 253 पदों पर पात्र किए गए 114 कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए होने वाली नियमित नियुक्ति विषयक।</u>

उपरोक्त विषय में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क.62/1616/2015/38–3 दिनांक 16.1.2018 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार विचार किया गया :

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ–**73-1/2008/38-3** दिनांक **06.06.2013** के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत 17 विभागों के लिये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कमशः 116 एवं 137 कुल 253 पदों के सृजन की सशर्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है :

1 पदों का सृजन निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किया जाये।

2 स्ववित्तीय पाठयकमों के लिए सृजित किये जाने वाले गैर–शिक्षकीय पदों का वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में वहन नहीं किया जावें।

3 स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत नियुक्त किए जाने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर आने वाला व्यय भार स्ववित्तीय पाठयकमों से प्राप्त होने वाली आय/शुल्क से ही वहन किया जाये।

4 इन पदों के सृजन होने पर राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जावेगी न ही इस हेतु राज्य शासन द्वारा ब्लॉक ग्रांट या अन्य अनुदान उपलब्ध कराया जावेगा।

5 स्ववित्तीय पाठयकम के अंतर्गत विश्वविदयालय द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों आदि के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण आदि होने की स्थिति में राज्य शासन का कोई उत्तरदारियत्व नहीं होगा। इसका सम्पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन एवं संबंधित कर्मचारियों का होगा।

6 इन पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां पाठयकम्/ विषय संचालन अवधि तक ही अनुमत्य होगी। पाठयकम/विषय बंद होने पर नियुक्तियां स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।

7 इन पदों पर होने वाली नियुक्तियों में पेंशन की पात्रता नहीं होगी।

8 स्ववित्तीय आधार पर स्वीकृत किए गए तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्थाई स्वरूप के पदों की नियमित वेतनमान पर तथा शेष पद जो अस्थाई स्वरूप के है, की पूर्ति आउट सोर्सिंग / संविदा पर की जावेगी।

9 विश्वविद्यालय द्वारा इन पदों पर नियुक्तियों हेतु आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा।

10 स्ववित्तीय आधार पर सृजित पदों के विरूद्ध नियुक्ति होने वाले एवं कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा शर्तो के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट परिनियम आदेश जारी होने के तीन माह के अंदर तैयार किया जावेगा।

11 स्ववित्तीय संस्थानों के लिए स्वीकृत पदों पर नियमानुसार पारदर्शी प्रकिया से आदेश जारी होने के दिनांक से छ माह के अंदर नियुक्तियां की जावेंगी।

12 विश्वविद्यालय द्वारा एण्डोमेंट फण्ड का निर्माण किया जावेगा।

विवि समन्वय समिति की 89वीं बैठक में दिनांक 25.06.2014 को स्ववित्तीय आधार पर स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्त परिनियम क.39 को अनुमोदित किया गया। विश्वविद्यालय कार्य–परिषद की दिनांक 14.08.2014 को सम्पन्न बैठक में विषय कमांक–04 में अंगीकृत करते हुए अधिसूचना क. प्रशा. इक्कीस (2) /2014/1427 दिनांक 25.09.2014 के द्वारा जारी की गई।

म0प्र0 शासन वित्त विभाग के पत्र कमांकःसीआर 1277/ब–3/चार/2012 दिनांक 19.02.2013 तथा मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ.73-1/2008/38-3 दिनांक 06.06.2013 तथा परिनियम क.39 में दिये गये नियमों के आधार पर आरक्षण नियमों एवं भर्ती नियमों का पालन करते हुए कार्यरत कर्मचारियों के प्रपत्रों/अभिलेखों की जांच विभिन्न समितियों के द्वारा सम्पन्न की जाकर पात्र–अपात्र कर्मचारियों की सूची भी बनाई गई, जिन्हें सार्वजनिक कर दावे, आपत्ति आमंत्रित किये गये। तदुपरांत कुल 114 कर्मचारी पात्र पाये गये। मध्यप्रदेश राजपत्र के आधार पर शेष कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड यथा उम्र अधिक हो जाने से दिनांक 26.01.2001 के पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान होने से एवं अन्य कारणों से अयोग्य पाए गये है, जिसकी संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है :

. प्रावधिक रूप से नियमित नियुक्ति हेतु पात्र कर्मचारियों की संख्या	114
. दिनांक 01.09.2014 को 45 वर्ष या अधिक आयु वाले अपात्र कर्मचारी की संख्या	040
. दिनांक 26.01.2001 को दो से अधिक संतानों वाले कर्मचारियों की संख्या	031
. शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य कारणों से अपात्र हुए कर्मचारियों की संख्या	052
. स्ववित्त संस्थानों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या	कुल 237

नियमानुसार अपात्र पाये गये कर्मचारियों के संबंध में शर्तों एवं नियमों को शिथिल किये जाने के संबंध में विश्वविद्यालय के पत्र क स्था/2015/1102 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा किये गये अनुरोध के संबंध में मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 87/1616/2015/38-3 भोपाल दिनांक 18.01.2016 द्वारा निर्देशित किया गया कि वित्त विभाग की सहमति उपरांत इस विभाग द्वारा आदेश कमांक एफ– 73-1/2008/38-3 दिनांक 06.06.2013 सशर्त जारी किया गया है। अतः शर्तो एवं नियमों को शिथिल किया जाना उपयुक्त नहीं है।

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.06.2016 में लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश एस. गर्ग पूर्व मुख्य न्यायाधीश से मार्गदर्शन के लिये माननीय कुलपतिजी के द्वारा दिनांक 22.06.2016 को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था। जिसके प्रत्युत्तर में माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश गर्ग का अभिमत दिनांक 01.08.2016 को प्राप्त हुआ। प्राप्त अभिमत के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश शासन के अनुमोदन उपरांत जारी करने का विधिक परामर्श दिया गया। न्यायमूर्ति श्री रमेश गर्ग से प्राप्त विधिक परामर्श निम्नानुसार है :

'..... It would also be advisable that orders of regularization be issued after approval of the State Government is sought, to avoid future complications. However, the Government may be informed that if the Government is of the opinion that under Statute 39 as it stands today the Vice-Chancellor is entitled to issue regularization orders then Government may inform the V.C. accordingly.'

जिसके तारतम्य में विश्वविद्यालय ने अपने पत्र क्रमांक स्था/2016/1821 दिनांक 27.08.2016 को मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन को प्रेषित कर प्रावधिक रूप से पात्र पाये गये कर्मचारियों को आरक्षण रोस्टर में समाहित कर नियुक्ति हेतु पात्र पाये गये 114 कर्मचारियों की सूची भेजकर शासन से नियमितिकरण नियमानुसार करने की अनुमति चाही गई।

विश्वविद्यालय के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में म. प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से प्राप्त पत्र क्रमांक 62/1616/2015/38-3 दिनांक 16.01.2018 द्वारा निम्नानुसार उत्तर दिया गया :–

> "विषयांतर्गत विश्वविद्यालय के 17 विभिन्न विभागों हेतु तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 253 पदों के सृजन की सशर्त स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन से दिनांक 06.06.2013 में जारी की गई है। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि शासन द्वारा पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है ना कि दैनिक वेतन भोगीयों के नियमितिकरण की।

उक्त जारी आदेश के परिपालन में स्ववित्तीय कर्मचारियों हेतु परिनियम क. 39 में भी निर्मित कर प्रकाशित है, जिसमें नियमानुसार पूर्ण नियम का प्रावधान है। नियमों प्रावधानों एवं शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों के रोस्टर का पालन करते हुये कार्यवाही विश्वविद्यालय को ही करनी है। संविदा नियुक्ति एवं संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के नियमित नियुक्ति हेतु अलग से कोई प्रावधान, नियम विभाग में नहीं है। उक्त संबंध में विवि द्वारा परिनियम बनाये गये है।

अतः 114 कर्मचारियों के नियमितीकरण प्रकरण में विश्वविद्यालय विभाग के आदेश दिनांक 06.06.2013 एवं नियम, परिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं कार्यवाही कर निर्णय लेते हुये विभाग को भी अवगत करावे।"

कार्य–परिषद् उपरोक्तानुसार तथ्यों से अवगत हुई तथा निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र **62/1616/2015/38-3** दि.16.01.2018 एवं स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सृजित पदों पर परिनियम क्र.39 एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ–**73-1/2008/38-3** दिनांक **06.06.2013** में दर्शित शर्तों के अधीन विवि के विभिन्न स्ववित्त विभागों में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को स्वीकृत पदों के विरूद्ध पूर्णतः अस्थायी रूप से नियमित नियुक्त किया जाए। उपरोक्त नियुक्ति म.प्र. शासन की स्ववित्त संस्थानों हेतु निर्धारित एक्ज़िट पॉलिसी के अधीन रहेगी।

यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त कर्मचारियों से इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उन्हें मध्यप्रदेश शासन के उपरोक्त परिपत्रों, परिनियम क्र.39 एवं स्ववित्त संस्थानों की एक्जिट पॉलिसी की सभी शर्तें मान्य होंगी। मध्यप्रदेश शासन/ विश्वविद्यालय को किसी भी अनियमितता की जानकारी प्राप्त होने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

यह भी निर्णय लिया कि जिन कर्मचारियों को अपात्र घोषित किया गया है, उनके प्रकरणों की पुनः जांच हेतु समिति गठित कर प्रतिवेदन कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:10: <u>विश्वसरैया पी–एच.डी. योजना के अंतर्गत रिसर्च हेतु उपकरण (हार्डवेअर एवं साफ्टवेअर) क्रय के भुगतान विषयक।</u>

निर्णय लिया कि विश्वसरैया पी–एच.डी. योजना के अंतर्गत रिसर्च हेतु उपकरण (हार्डवेअर एवं साफ्टवेअर) क्रय हेतु कार्य–परिषद् की पूर्व बैठक दिनांक 23.11.2016 में राशि रू.10 लाख के व्यय की प्रदान की गई स्वीकृति के तारतम्य में वित्तीय वर्ष 2017–18 में भुगतान की स्वीकृति भंडार क्रय नियम के पालन की शर्त पर प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः इलेक्टॉनिक्स अध्ययनशाला)

विषय क्र.:11: <u>पे–रोल माड्यूलर एवं परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग हेतु सॉफ्टवेयर टूल एवं सर्विसेस क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि पे–रोल माड्यूल एवं परीक्षा परिणाम प्रोसेसिंग हेतु सॉफ्टवेयर टूल एवं सर्विसेस क्रय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए।

यह भी निर्णय लिया कि साफ्टवेयर प्रोसेसिंग के लिए चार प्रोग्रामर आउटसोर्सेस से नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः कम्प्यूटर सेंटर)

विषय क्र.:12: <u>मूल्यांकन केन्द्र में कार्यरत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के कार्यकाल के संबंध में।</u>

निर्णय लिया कि मूल्यांकन केन्द्र में कार्यरत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। प्रत्येक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पास एक विषय का प्रभार केवल एक वर्ष ही रहेगा। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

(कार्यवाहीः केन्द्रीय मूल्यांकन)

विषय क्र.:13: <u>मातेश्वरी सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय के विकास के संबंध में।</u>

मातेश्वरी सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय के विकास के संबंध में चर्चा की गई। चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि श्रमिक क्षेत्र में संचालित हो रहे इस महाविद्यालय के विकास हेतु निम्नानुसार महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया जाए :

1.	श्री रमेश मेंदोला, माननीय विधायक	अध्यक्ष
2.	श्री चन्द्रशेखर रायकवार, सदस्य, कार्य परिषद्	सदस्य
3.	डॉ. के.के. तिवारी, सदस्य, कार्य परिषद्	सदस्य
4.	श्रीमती. रागिनी मख्खर, सदस्य, कार्य परिषद्	सदस्य
5.	श्री चंदूराव शिन्दे, पार्षद	सदस्य
6.	श्री राजेन्द्र राठौर, पार्षद	सदस्य
7.	श्री राजकपूर सुनहरे, पार्षद	सदस्य
8.	श्री दिलीप वर्मा, वित्त नियंत्रक	सदस्य
9.	डॉ. एल.के. त्रिपाठी, प्रभारी, स्व–वित्त मातेश्वरी सुगनीदेवी महाविद्यालय	सदस्य
10.	डॉ. प्रकाश गढ़वाल, प्रशासनिक अधिकारी मातेश्वरी सुगनीदेवी महाविद्यालय	सदस्य
11.	प्राचार्या, मातेश्वरी सुगनीदेवी कन्या महाविद्यालय	संयोजक

उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा।

(कार्यवाहीः प्राचार्य, मातेश्वरी सुगनीदेवी महाविद्यालय)

विषय क्र.:14: <u>स्थानान्तरण नीति के संबंध में।</u>

निर्णय लिया कि प्रत्येक कर्मचारी को प्रत्येक विभाग की कार्यप्रणाली की जानकारी होना आवश्यक है इसे दृष्टिगत रखते हुए एक ही विभाग में 10 वर्ष या उससे अधिक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अन्य विभागों में स्थानान्तरित किया जाए।

यह भी निर्णय लिया कि प्रत्येक तीन वर्ष में कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए जाए। प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत कर्मचारियों का स्थानान्तरण उपरोक्त स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत किया जाए।

इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:15: बी.एड. द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया गया कि बी.एड. की द्वितीय सेमेस्टर एवं चतुर्थ सेमेस्टर की विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा, जिन महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता न होने से आयोजित नहीं की है, उन महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की, विश्वविद्यालय शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा निःशुल्क आयोजित करवाई जाए।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:16:: कार्य–परिषद् सदस्य श्री चन्द्रशेखर रायकवार एवं अन्य सदस्यों द्वारा यांत्रिक विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु समिति का गठन करने का निवेदन किया गया।

निर्णय लिया कि निम्नानुसार समिति का गठन किया जाए :

1. श्री चन्द्रशेखर रायकवार, सदस्य कार्य परिषद्
2. श्रीमती रागिनी मख्खर, सदस्य कार्य परिषद्
3. श्री नरेन्द्र पांजरे, सहायक यंत्री – प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:17: <u>विश्वविद्यालय के आवास आवंटन में अनियमितता के संबंध में (डॉ.(श्रीमती) सुनीता चन्द्रा, सदस्य–कार्य परिषद्)</u>

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा आवास आवंटन में की जा रही अनियमितता की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार जांच समिति का गठन किया जाए :

1. डॉ. के.के. तिवारी, सदस्य कार्य परिषद्
2. श्रीमती रागिनी मख्खर, सदस्य कार्य परिषद्
3. उप–कुलसचिव (प्रशासन) – प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:18: <u>**University of Phayao (Thailand)** के साथ **M.O.U.** करने विषयक।</u>

निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी. गज़ट नोटिफिकेशन के अनुसार **M.O.U.** करने के पूर्व यू.जी.सी. से स्वीकृति प्राप्त की जाए।

(कार्यवाही: कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला)

बैठक के अंत में डॉ. (श्रीमती) पुष्पलता केसरी का कार्य–परिषद् सदस्य के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने पर उनका पुष्प–गुच्छ एवं शॉल, श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया। डॉ. (श्रीमती) पुष्पलता केसरी ने भी कार्य–परिषद् का आभार व्यक्त किया।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–
(अजय वर्मा)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव

हस्ता/–
(एन.के. धाकड़)
कुलपति/ अध्यक्ष